

राजानन्द विनायक कुकुल


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्रावली अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक - 7/3/2023

इस पत्रावली कार्यवाही 2024 नमूने पर

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण मय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विद्वा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)



26 06.2023

नम
अ
द

12
12
12